फर्द अहकाम

प्रकरण सं0 64/23

श्री किशनलाल बनाम श्री मंगला

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्त की तामिल में जारी हुए
	को पेश हो।	
14/11/24	पत्रावली पेश हुआ उपखण्ड पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त/अवकाश में है, सम्बन्धित माकूल आदेश में दिनांक 31/12/24 को पेश हो। आदेश से रीडर	
31/12/24	पत्रावली पेश हुआ उपखण्ड पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त/अवकाश में है, सम्बन्धित माकूल आदेश में दिनांक 20/01/2025 को पेश हो। आदेश से रीडर	
20/1/25	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी/प्रार्थी अनुपस्थित। वादी/प्रार्थी भी अनुपस्थित। प्रकरण मे वकील वादी/प्रार्थी को विधिवत रूप से [illegible] कर तीन बार आवाजे लगवाई गई, लेकिन उनकी ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। वकील वादी/प्रार्थी पूर्व से भी अनुपस्थित रहा। वकील वादी व वादी के अनुपस्थित रहने से प्रकरण अदम हाजरी व अदम पैरवी मे खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति मे प्रकरण को अदम हाजरी व अदम पैरवी मे खारिज किये जाने के आदेश पारित किये जाते है। अतः पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम कि जाकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी ... (राज.)	